भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 515

सोमवार, 06 फरवरी, 2023 / 17 माघ, 1944 (शक)

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

515. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंड़े:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गोपाल शेट्टी:
श्री रामशिरोमणि वर्मा:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2023 के दौरान केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने देश के श्रम बाजार को सुदृढ बनाने के लिए राज्य सरकारों से श्रम संहिताओं के लिए नियम बनाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा की प्रतिक्रिया का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वैश्विक कौशल अंतराल, गिग और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सतत वित्तपोषण और अन्य संबंधित मुद्दों/समस्याओं के समाधान के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरु की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार ने संगठित और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा 8 केन्द्रीय श्रम कानूनों का आमेलन, सरलीकरण और यौक्तिकीकरण करके सामाजिक सुरक्षा संहिता,

2020 को अधिसूचित किया है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की कवरेज का विस्तार करना है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सामाजिक सुरक्षा संहिता संबंधी नियम बनाने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र और ओड़िशा राज्यों ने उक्त संहिता के तहत प्रारूप नियम पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं।

(घ): पहली बार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण, आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपबंध किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का उपबंध भी है तथा निधि का एक स्रोत एग्रीगेटर द्वारा इन कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अधीन एक एग्रीगेटर की वार्षिक आय के 1 से 2% के बीच एग्रीगेटर से मिलने वाला अंशदान है। तथापि, संहिता अभी लागू की जानी है। कौशल अंतरालों की समस्या के निवारण के लिए व्यावसायिक मानक तैयार करने, दक्षता ढ़ांचा विकसित करने, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, कौशल अंतराल अध्ययन संचालित करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन किया गया है।

(ङ) और (च): (i) सरकार ने अन्य के साथ-साथ कामगारों को जीवन और नि:शक्ता कवर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का शुभारंभ किया है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 14.82 करोड़ लाभार्थियों को पीएमजेजेबीवाई के तहत नामांकित किया गया है तथा कुल 31.88 करोड़ लाभार्थियों को पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित किया गया है।

(ii) 27 स्पेशिएलिटीज़ में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक उपचार के लिए भर्ती किए जाने हेतु प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) का सूत्रपात किया गया है। दिनांक 4 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 20.96 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं।

(iii) भारत सरकार ने वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है और वे ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत

लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत, सरकार के अंशदान के लिए निधियां, निधि प्रबंधक होने के नाते एलआईसी को प्रदान की जाती हैं। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार पंजीकरण **अनुबंध में** दिया गया है।

ये योजनाएं मांग प्रेरित हैं और तदनुसार बजट का आबंटन किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के लिए उनके पात्रता मानदंड के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

16-59 वर्ष के आयु-वर्ग के असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के उद्देश्य से अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं की असंगठित कामगारों तक प्रदायगी को सुकर बनाया जा सके।

*

*****

अनुबंध

"सामाजिक सुरक्षा कवरेज" के संबंध में श्री गिरीश भालचन्द्र बापट, डॉ. प्रीतम गोपनाथराव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री गोपाल शेट्टी, श्री रामशिरोमणि वर्मा, श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 515 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकरण
1	जम्मू और कश्मीर	74231
2	हिमाचल प्रदेश	47556
3	पंजाब	58479
4	चंडीगढ़	5174
5	उत्तराखंड	38782
6	हरियाणा	917130
7	दिल्ली	10247
8	राजस्थान	305714
9	उत्तर प्रदेश	887760
10	बिहार	216524
11	सिक्किम	308
12	अरुणाचल प्रदेश	2870
13	नागालैंड	4946
14	मणिपुर	5695
15	मिजोरम	1148
16	त्रिपुरा	31664
17	मेघालय	5326
18	असम	37649
19	पश्चिम बंगाल	105755
20	झारखंड	135782
21	ओडिशा	183930
22	छत्तीसगढ	229418
23	मध्य प्रदेश	177459
24	गुजरात	387287
25	महाराष्ट्र	614141
26	आंध्र प्रदेश	170262
27	कर्नाटक	130033
28	गोवा	2027
29	लक्षद्वीप	21
30	केरल	15467
31	तमिलनाडु	65799
32	पुदुचेरी	2381
33	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2339
34	तेलंगाना	48751
35	लद्दाख	1473
36	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	1627
कुल		**4925155**

*****